कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 751 /2-6 देवरिया, दिनांक, सितम्बर 26 /2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :– **जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) के कि0मी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार,पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/296दिनांक27/07/2022 एवं पृष्ठांकन पत्र सं0–511/2–6 दिनांक 24.08.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मांगी गयी वांछित सूचना की आख्या निम्न प्रकार है।

क0 सं0	प्रश्न	उत्तरालेख
1	जी0आई0एस0 डी0ए0एस0 रिपोर्ट के अनुसार गुगल कार्य इमेजरी दिनांक 08.01.2021 के अनुसार डायवर्सन के लिए प्रस्तावित क्षति पर एक मौजूदा पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है राज्य सरकार डायवर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में मौजूदा संरचना की उपस्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?	उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि जो पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है, वह पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा अपने नीजि भूमि में स्थापित किया गया है उनके द्वारा एप्रोच मार्ग रूप में वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग किया जा रहा है जिस पर विभागीय रेंज केस संख्या–17/2022–23 दिनांक 20.09.2022 द्वारा जारी किया गया है इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को इस कार्यालय के पत्र सं0–722/2–6 दिनांक 22.09.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया है। कि एप्रोच मार्ग नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए बाधित कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचनबद्वता दी गयी है कि जो भी एन0पी0वी0 एवं प्रतिकर की धनराशि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी उसे नियमानुसार जमा कर किया जायेगा।

उक्त जारी एच–2 केस एवं नोटिस तथा प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा दी गयी बचनबद्वता की छाया प्रति (चार अदद) संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण में बिना भारत सरकार के स्वीकृति के वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी/फार्म द्वारा बचनबद्वता दी गयी है कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी एन0पी0वी0 एवं प्रतिकर की धनराशि निर्धारित की जायेगी उसे जमा कर दिया जायेगा। अतः वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

R. Jagdeesh

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

E/ RAJESH PANDEY/DM.BABU

फार्म नं० १६ एवं ०२

पुस्तक सं० 67 पेज नं० 29

वन विभाग उत्तर प्रदेश

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध भारतीय वन ~~संरक्षण~~ अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन

रिपोर्ट नं0 .... दिनांक 20.09.2022 रेन्ज बरहज वीट भलुअनी वीट II

रेन्ज केस नम्बर 17/2022-23 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता श्रीमति विश्वभारती देवी w/o रमेश जायसवाल नि. सोनौली बलिया मार्ग K.M 153 से 154 के मध्य दायी पटरी पर अहिलवार बुजुर्ग तहसील सदर जिला देवरिया

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता [illegible]

3. कथित अपराध का पूरा विवरण सोनौली बलिया मार्ग K.M 153 से 154 के मध्य दायी पटरी बिना अनुमति के संरक्षित वन क्षेत्र और वानिकी (एप्रोच मार्ग) का प्रयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

T.C.
आवश्यक कार्यवाही करें
[signature]
23/09/2022

5. कुल हानि का मूल्यांकन

छाया प्रति प्रमाणित

[signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बरहज रेंज
सा० वा० प्रभाग, देवरिया

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ महोदय, अवगत कराना है कि सोनौली बलिया मार्ग K.M 153-154 के मध्य दायी पटरी पर ग्राम अहिलवार बुजुर्ग तहसील सदर जनपद देवरिया में, उपरोक्त कालम नं० (1) में दर्ज अभियुक्त द्वारा पेट्रोल पम्प स्थापित कर संचालित किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पूर्ण उल्लंघन किया है जो दण्डनीय अपराध है। पेट्रोल पम्प स्वामी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा यह बताया गया 4 वर्ष पूर्व से ही सन्चालित किया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

केस काटने वाले का हस्ताक्षर

दिनांक 20/9/2022 20

पद [signature]
(गुलाब चन्द)
व.र.

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / 2-6 देवरिया, दिनांक, सितम्बर 22/2022

नोटिस

सेवा में

डिवीजनल मैनेजर
नायरा, इनर्जी लिमिटेड
(पूर्व में एस्सार आयल लिमिटेड)
अरिहन्ता कम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी ।

विषय :– **जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच–1) कि0मी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के रूप में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग किया जाना ।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/296 दिनांक 27.07.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि उक्त स्थल पर विषयांकित पेट्रोल पम्प पूर्व से स्थापित है तथा संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग (एप्रोच मार्ग के रूप में) किया जा रहा है, जो भारत सरकार द्वारा बिना अनुमति के संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन है।

अतः इस सम्बन्ध मे आपको नोटिस जारी किया जाता है कि आप द्वारा बिना अनुमति के कैसे संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जा रहा है। पूर्ण विवरण सहित आख्या तीन दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के कम में कार्यवाही करते हुए जारी एच–2 केस का निस्तारण किया जा सके।

अन्यथा की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन मे दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए पेट्रोल पम्प का एप्रोच मार्ग बाधित करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

भवदीय

R. Jagdeesh
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

पत्रांक 722 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।
2–जिलाधिकारी, देवरिया ।
3–पुलिस अधीक्षक देवरिया ।
4–क्षेत्रीय वन अधिकारी, बरहज ।

छाया प्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बरहज रेंज
सा0 वा0 प्रभाग, देवरिया

R. Jagdeesh
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

E/ RAJESH PANDEY/DM.BA...

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
देवरिया ।

विषय :– **जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) कि0मी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर जनपद–देवरिया मे एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के रूप में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग किया जाना ।**

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय के पत्र सं0–722/2–6 दिनांक 22.09.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी (नायरा एनर्जी लिमिटेड) सिगरा वाराणसी को नोटिस जारी किया है तथा विभागीय रेंज केस सं0–17/2022/23 दिनांक 20.09.2022 द्वारा एच–2 केस जारी किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना कि प्रार्थी एच–2 केस के निस्तारण हेतु जो प्रतिकर न्यूनतम हो जारी किया जायेगा उसे भुगतान करने तथा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग में ली गयी भूमि की एन0पी0वी0 मूल्य राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित की जायेगी उसे सहर्ष जमा करने हेतु प्रार्थी सहमत है साथ में बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि मेरी पेट्रोल पम्प की स्वीकृति करने की कृपा करें।

संलग्नकः–एन0पी0वी0 एवं एच–2 केस के प्रतिकर की धनराशि जमा करने हेतु बचनबद्धता प्रमाण–पत्र ।

भवदीय
NAYARA ENERGY LTD.
24/9/22
Divisional Manager
प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म
नायरा एनर्जी लिमिटेड सिगरा वाराणसी
ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग
तहसील–सदर
जनपद–देवरिया
दिनांक
Vishwa Bhatt

बचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) कि0मी0 153–154 के मध्य ग्राम अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर जनपद–देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड (नायरा एनर्जी लिमिटेड) द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग के रूप में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग में जारी विभागीय एच–2 केस में जो प्रतिकर निर्धारित की जायेगी जो कम से कम हो, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार जमा करने की बचनबद्धता दी जाती है इसके अतिरिक्त संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो धनराशि निर्धारण किया जायेगा उसे नियमानुसार कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया जायेगा। इसके लिए प्रार्थी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। न्याय के लिए ईश्वर मेरी रक्षा करें।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बरहज रेंज
सा० वा० प्रभाग, देवरिया

भवदीय
NAYARA ENERGY LTD.
Divisional Manager
प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म
नायरा एनर्जी लिमिटेड सिगरा वाराणसी
ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग
तहसील–सदर
जनपद–देवरिया
दिनांक
VISHWA Bharti